



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 451) पटना, शुक्रवार, 8 मई 2026

सं० 11/न०वि०-निर्वा-03/2025/1503—न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

7 मई 2026

विषय:—नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting System का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल ₹ 31.4588 लाख (GST सहित) (एकतीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर C-DAC, हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के 08 नगर निकायों यथा—नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, दानापुर निजामत, खगौल, सोनपुर एवं नगर पंचायत महाराजगंज, मदनपुर, जम्हौर, मधुबन का आम निर्वाचन तथा शेष 18 जिलों के 30 नगर निकायों में उप निर्वाचन, मई—जून, 2026 में कराया जाना है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243—ZA एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 2 (90) सहपठित धारा—14 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में स्वतंत्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ नगरपालिका निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का प्रावधान है।

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता एवं प्रथम बार नामित मतदाता को सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting system का उपयोग कर मतदान कराने संबंधित कार्य कराया जाना है।

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 1029 दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से C-DAC हैदराबाद द्वारा उक्त विधि से निर्वाचन कराये जाने में कुल ₹ 31.4588 लाख (GST सहित) (एकतीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर कार्य कराये जाने हेतु विभागीय अनुमति की मांग की गई।

4. उल्लेखनीय है कि पूर्व में नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 में निर्वाचन हेतु 6 नगरपालिकाओं यथा, नगर पंचायत, मेहसी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण), नगर पंचायत, कोचस (रोहतास) तथा नगर पंचायत खुशरूपुर नौबतपुर एवं विक्रम (पटना) का आम निर्वाचन C-DAC हैदराबाद से कराया गया है। e-voting system का उपयोग कर मतदान कराने का अच्छा अनुभव रहा है तथा मतदान प्रतिशत भी बढ़ा था।

5. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 85 में नगरपालिका निर्वाचन हेतु ई0वी0एम0 एवं ई0 वोटिंग द्वारा मतदान कराने का प्रावधान है।

6. Ministry of Electronics & Information Technology (Meity), Government of India के पत्र DO-Meity/R&D/C-DAC/2/2018 दिनांक 14.03.2019 द्वारा C-DAC को नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

7. उक्त के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting System का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल ₹ 31.4588 लाख (GST सहित) (एकतीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर C-DAC, हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने पर सहमति संसूचित की जाती है।

8. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 06.05.2026 को आहूत बैठक के मद संख्या 04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश से,
राजीव कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 451-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>